प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 6391/2008

याचिकाकर्ता मे/र्स. अनमोल मोटर्स एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण मे/र्स. शिवम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07-09-2009 के लिए सूचीबद्ध

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 6391/2008

याचिकाकर्ता 1. मे/र्स. अनमोल मोटर्स, नया बस स्टैंड, द्वारा स्वामी श्री संतोष कुमार अग्रवाल

प्रतिवादी 2. संतोष कुमार अग्रवाल, पिता श्री गौरीशंकर अग्रवाल, उमलगभग 39 वर्ष, स्वामी एम/एस अनमोल मोटर्स, नया बस स्टैंड, कोरबा के पास, निवासी अग्रसेन रोड, बसन गली, शहर, तहसील एवं जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण मैसर्स शिवम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक पंजीकृत कंपनी, प्रधान कार्यालय 124, नेपियर **वादी** टाउन, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा श्री एस.एस. बिष्ट, कार्यकारी उपाध्यक्ष, मैसर्स शिवम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, शाखा कार्यालय, रायपुर रोड, बिलासपुर शहर, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

श्री प्रमोद वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सुमित वर्मा, अधिवक्ता के साथ – याचिकाकर्ता की ओर से।
श्री संजय एस. अग्रवाल, अधिवक्ता – उत्तरवादी की ओर से।

<u>पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति एन. के. अग्रवाल</u>

<u>आदेश</u>

(07-09-2009)

1. यह याचिका सिविल वाद क्रमांक 18 बी/2009 में जिला न्यायाधीश, कोरबा द्वारा दिनांक 29-08-2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादियों / याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर धारा 10, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / उत्तरवादी ने 12-08-2000 को किए गए एक किराया समझौता पत्र के आधार पर ₹3,67,740/- की बकाया किराया राशि की वसूली हेतु वाद दायर किया। प्रतिवादियों ने किसी भी किराया राशि का भुगतान करने की अपनी जिम्मेदारी से इंकार किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक विरचित तय किए, पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और तत्पश्चात 12-10-2007 को पारित निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी के पक्ष में ₹2,36,740/- की वसूली हेतु ब्याज सहित डिक्री पारित की गई। उसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में प्रथम अपील क्रमांक 11/2008 दायर की, जो विचाराधीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी/वादी ने एक और वाद दायर किया जिसमें ₹4,61,231/- की वसूले जाने योग्य किराए एवं कर बकाया की वसूली के लिए एवं एक और बाद तैयार किया । यह राशि उस अवधि के लिए दावा की गई थी जो उस अवधि के पश्चात की है जिसके लिए पूर्व में वाद दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने इसमें लिखित कथन प्रस्तुत किया। विवाधक विरचित तय किए गए और तत्पश्चात याचिकाकर्ताओं ने व.प्र.सं. की धारा 10 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया ताकि बाद के वाद की सुनवाई स्थगित की जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को निरस्त कर दिया। अतः यह याचिका दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री प्रमोद वर्मा, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि पूर्ववर्ती वाद और वर्तमान वाद में विवाद का विषय समान है। दोनों वादों में मुख्य विवाद यह है कि क्या उत्तरवादी/वादी और याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के बीच मकान मालिक और किरायेदार का संबंध है या नहीं; दोनों वाद समान पक्षकारों के बीच लंबित हैं और इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को व.प्र.सं की धारा 10. के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार वर्तमान वाद, जो बाद में दायर हुआ है, की सुनवाई स्थगित करनी चाहिए थी क्योंकि ये प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं। श्री वर्मा ने उत्तरवादी/वादी द्वारा दायर

वाद पत्र के पैरा 8 का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया कि यहां तक कि वादी के अनुसार भी पूर्ववर्ती वाद में समान मुद्दों पर निर्णय वर्तमान वाद में पूर्व निर्णय वाद के रूप में लागू होता है।

5. इसके विपरीत, श्री संजय एस. अग्रवाल, उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि पूर्ववर्ती वाद में किराया 30-06-2003 तक की अवधि के लिए किराए का दावा किया गया था, जबकि वर्तमान वाद में उसके बाद की अवधि का किराया तथा प्रतिवादियों द्वारा भुगतान किए गए कर का दावा किया गया है। इसलिए दोनों वादों का विषय एक समान नहीं है, जो कि व.प्र.सं की धारा 10, के अंतर्गत वाद की कार्यवाही स्थगित करने की पूर्वशर्त है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के **नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बनाम सी. परमेश्वर** (2005) 2 एस.सी.सी. 256 में दिए गए निर्णय पर अवलंब लेते हुए यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आवेदन को सही रूप से खारिज किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित तर्कसंगत आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और अभिलेख के साथ-साथ आक्ष ेपित आदेश का अवलोकन किया है।

7. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विपरीत तर्कों पर विचार करने से पहले, यह उपयुक्त होगा कि व.प्र.सं की धारा 10. में सुसंगत प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए, जो इस प्रकार है:

> ***"10. वाद की स्थगनता - "*** कोई न्यायालय उस वाद की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएगा जिसमें विवादित विषय वही है जो किसी पूर्व में दायर वाद में प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से विवादित है,
>
> और जिसमें वही पक्षकार या उनके उत्तराधिकारी समान पदवी (title) के अंतर्गत मुकदमा लड़ रहे हैं, तथा ऐसा पूर्व वाद किसी ऐसे न्यायालय में लंबित है जो उसी राहत को प्रदान करने का अधिकार रखता है — चाहे वह न्यायालय भारत में हो या भारत के बाहर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित ऐसा न्यायालय हो, या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो"

8. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत मुख्य तर्क यह है कि किराया वसूली का प्रश्न दोनों वादों में प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से विवादित है, और इसलिए, जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित बाद वाला वाद, इस न्यायालय में लंबित प्रथम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील के निस्तारण तक, जो पूर्ववर्ती वाद में पारित निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुआ है, व.प्र.सं. की धारा 10 के तहत स्थगित किया जाना चाहिए।

9. जहां तक विधि के प्रस्ताव का प्रश्न है इस बात पर विवादित नहीं किया जा सकता कि व.प्र.सं. की धारा 10 में निहित प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं, और जब किसी मामले के तथ्य उस धारा के प्रवर्तन को आकर्षित करते हैं, तो न्यायालयों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वे इसे प्रभावी करें और वाद पर रोक लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता । इसलिए मुझे यह निर्धारित करना है कि क्या वर्तमान वाद विवादित विषय प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से प्रथम अपील क्रमांक 11/2008 में विवादित है, जिसे पूर्व में संस्थापित वाद की निरंतरता माना जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.इस मामले में यह निर्विवाद तथ्य है कि पहला वाद 1-4-2000 से 30-6-2003 की अवधि के संबंध में किराए के लिए दायर किया गया था और वर्तमान वाद उसके बाद की तीन वर्षों की अवधि के संबंध में है, जिसमें वर्ष 2000 से 2007 तक के कर देय भी शामिल हैं।

11.सर्वोच्च न्यायालय ने **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान** (उपरोक्त) मामले में पैरा 8 में निम्नलिखित अवलोकन किया:

"8. धारा 10 के अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि समवर्ती अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय एक ही विवादित विषय के संबंध में एक साथ दो समानांतर वादों की सुनवाई न करें। धारा 10 का उद्देश्य एक ही मुद्दे पर दो न्यायालयों द्वारा समानांतर सुनवाई से बचना और दोहरावपूर्ण निर्णय दर्ज करने से रोकना है. पूर्व में संस्थापित वाद में प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से विवादित मुद्दों पर विरोधाभासी निष्कर्षों को रोकना। धारा 10 की भाषा से यह संकेत मिलता है कि यह सिविल न्यायालय में संस्थापित वाद से संबंधित है और यह किसी अन्य क़ानून के तहत संस्थापित अन्य प्रकार की कार्यवाहियों पर लागू नहीं हो सकता। धारा 10 का उद्देश्य यह है कि समान अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों को एक ही पक्षकारों के बीच एक ही विवादित विषय पर एक साथ दो समानांतर वादों की सुनवाई करने से रोका जाए। धारा 10 को आकर्षित करने के लिए मूलभूत परीक्षण यह है कि यदि पूर्ववर्ती वाद में अंतिम निर्णय पारित हो जाए, तो क्या वह निर्णय बाद के वाद में पूर्व निर्णय वाद *के रूप में लागू होगा। धारा 10 केवल उन मामलों में लागू होती है जहाँ दोनों वादों में पूरे विषय की समानता हो। धारा 10 में मुख्य शब्द हैं – 'विवादित विषय प्रत्यक्ष*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और पर्याप्त रूप से विवादित है' पूर्व में संस्थापित वाद में। 'प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से विवादित' शब्दों का प्रयोग 'संयोगवश या सहायक रूप से विवादित' शब्दों के विपरीत किया गया है। इसलिए, धारा 10 केवल तभी लागू होगी जब दोनों वादों में विवादित विषय की पहचान हो, अर्थात् दोनों कार्यवाहियों में पूरे विषय की समानता हो।"

12.उपरोक्त उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सिद्धांत को लागू करने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि धारा 10 को लागू करने का मूलभूत मापदंड यह है कि यदि पूर्ववर्ती वाद में अंतिम निर्णय पारित हो जाए, तो क्या वह निर्णय बाद के वाद में *पूर्व निर्णय वाद* के रूप में लागू होगा। धारा 10 केवल उन मामलों में लागू होती है जहाँ दोनों वादों में पूरे विषय की समानता हो। धारा में मुख्य शब्द हैं – 'विवादित विषय प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से विवादित है' पूर्व में संस्थापित वाद में। 'प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से विवादित' शब्दों का प्रयोग 'संयोगवश या सहायक रूप से विवादित' शब्दों के विपरीत किया गया है। इसलिए, धारा 10 केवल तभी लागू होगी जब दोनों वादों में विवादित विषय की पहचान हो, अर्थात् दोनों कार्यवाहियों में पूरे विषय की समानता हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.दिल्ली उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने **विजय कुमार एवं अन्य बनाम मनोहर लाल एवं अन्य** (**AIR** 1979 दिल्ली 1) के मामले में लगभग समान मुद्दे पर विचार करते हुए, निम्नलिखित निर्णयों पर अवलंब लेते हुए यह अधिनिर्धारित किया गया है कि धारा 10 का प्रयोग लगातार अवधि के लिए देय किराए के दावों पर नहीं हो सकता **बाल किशन बनाम किशन लाल** [(1889) **ILR** 11 **All** 148],**बेपिन बिहारे मजूमदार बनाम जोगेंद्र चंद्र घोष** (ए,आई,आर 1917 **Cal.** 248), **रोशन दीन बनाम मलान बीबी** (ए,आई,आर 1938 **Lah.** 502), **गार्गी दीन मिश्रा बनाम देवी चरण** (ए,आई,आर 1929 **All** 805), और **छन्नन कुअर बनाम साहदेव सिंह** (ए,आई,आर 1929 **Oudh** 341)। **वेलूर मुनुस्वामी मुदलियार बनाम दरवाजा रघुपति** (ए,आई,आर 1940 **Mad** 7) के मामले में, "विवादित विषय" (विचाराधीन मामला) शब्दों की व्याख्या करते हुए, न्यायमूर्ति अब्दुल रहमान ने यह अधिनिर्धारित किया है कहा कि धारा 10 में प्रयुक्त "विवादित विषय" का अर्थ किसी भी विवादित मुद्दे से नहीं है। पूर्व में दायर वाद में विवादित विषय का अर्थ पूरे विवादित विषय से है, न कि केवल किसी एक मुद्दे से, चाहे वह वाद के निर्णय के लिए कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो।

14.उपरोक्त उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात लाभ करते हुए तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए प्रतिपादित सिद्धांतों (जिनसे मैं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदरपूर्वक सहमत हूँ) को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती वाद 3 वर्षों की अवधि (जो 30-6-2003 को समाप्त होती है) के बकाया किराए की वसूली के लिए था, जबकि वर्तमान वाद उसके बाद की अवधि के किराए की वसूली तथा कर देयों की वसूली के लिए है। धारा 10 में विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त भाषा को उचित प्रभाव दिया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि अपेक्षित पहचान सार्थक पहचान (पर्याप्त पहचान) होनी चाहिए। विषय की समानता होनी आवश्यक है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान वाद का विषय, जो किराए की वसूली के लिए दायर किया गया है. उसके पश्चात की अवधि के लिए दायर वाद का विषय वस्तु पूर्ववर्ती वाद के विषय से पूरी तरह समान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, मेरा विचार है कि विचारण न्यायालय ने ऐसा कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं की है, जिससे स्पष्ट अन्याय हो और जिसके कारण इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना पड़े ।

16.यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप से स्वयं को विरत रखे, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ अभिलेख पर स्पष्ट रूप से विकृति, अवैधानिकता या अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि परिलक्षित हो, जो कि वर्तमान मामले में नहीं है।

17.अतः याचिका निरस्त किए जाने योग्य है तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By - Adv. Abhishek Kumar Rai.